

**न्यायालय सिविल जज (जू.डि.) / न्यायिक मजिस्ट्रेट,
ठाकुरद्वारा।**

राज्य बनाम नेमपाल सिंह पूर्व प्रधान आदि।

मु.अ.सं.— 317 / 2018

धारा—147,427,447,504,506आई.पी.

सी.

थाना— भगतपुर

निस्तारण जमानत प्रार्थनापत्र

07.08.2019

अभियुक्त हारून की ओर से जमानत

प्रार्थनापत्र मु.अ.सं.— 317 / 2018

धारा—147,427,447,504,506 आई.पी.सी. थाना भगतपुर
जिला मुरादाबाद में प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि
उन्हें रंजिशन झूठा फंसाया गया है वह निर्दोष है। अतः
उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए।

प्रार्थनापत्र पर सुना, अभियोजन आख्या व पत्रावली
का अवलोकन किया।

अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः मामले के
तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त
की जमानत का पर्याप्त आधार है। अभियुक्त की ओर से
प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त हारून द्वारा पच्चीस—पच्चीस हजार
रुपये के दो—दो प्रतिभू एवं समान धनराशि का वयवित्तगत
बंधपत्र प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।

सिविल जज (जू.डि.) / न्यायिक मजिस्ट्रेट,
ठाकुरद्वारा।